भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1732

(10 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण

1732. श्री आदित्य यादव:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में ग्रामीण सड़कों , आवास, सामुदायिक परिसंपत्तियों और संपर्क सुविधाओं से संबंधित अवसंरचनात्मक कमियों की जांच की है जो कृषि उत्पादकता, बाजार पहुंच और ग्रामीण जीवन स्तर को सीधे प्रभावित करते हैं , यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा जिले में ग्रामीण सड़कों , आवास व्यवस्थाओं, स्वच्छता सुविधाओं और साझा अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए जिला-विशिष्ट योजना और लक्षित निवेश के माध्यम से क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ख): ग्रामीण सड़कों, आवास, सामुदायिक संपत्तियों और संपर्क सुविधाओं से संबंधित अवसंरचनात्मक कमियों को दूर करने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) , प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना) जैसी योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है।

पीएमजीएसवाई पात्र असंबद्ध बसावटों को सभी मौसम में सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए एक बार का विशेष हस्तक्षेप है। वर्षों से , कृषि उत्पादकता और बाजार पहुंच को बढ़ाने के लिए ग्रामीण सड़क नेटवर्क के समेकन और उन्नयन पर ध्यान केंद्रित करते हुए यह योजना पीएमजीएसवाई-।।, पीएमजीएसवाई-।।।, और वाम पंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) जैसे विभिन्न घटकों के माध्यम से विकसित हुई है। ग्रामीण अवसंरचना को और मजबूत करने के लिए सरकार ने सितंबर 2024 में वर्ष 2024-25 से 2028-29 की अवधि के लिए पीएमजीएसवाई- ।V शुरू की, जो जनगणना 2011 के

अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 500+ और विशेष श्रेणी वाले क्षेत्रों में 250+ की आबादी वाली असंबद्ध बसावटों को लक्षित करती है। पीएमजीएसवाई के विभिन्न घटकों में बदायूं जिले के लिए 810.30 किलोमीटर की लंबाई को कवर करने वाले कुल 281 सड़क कार्यों को स्वीकृति दी गई है और इन स्वीकृत कार्यों में से 100% पूरे हो चुके हैं , जिससे जिले की ग्रामीण आबादी के लिए संपर्क सुनिश्चित हुआ है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय आवास की सुविधा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु 1 अप्रैल 2016 से पीएमएवाई-जी का कार्यान्वयन कर रहा है ताकि वर्ष 2029 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ 4.95 करोड़ पक्के आवास बनाने के समग्र लक्ष्य के साथ पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान की जा सके। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान 2 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण आवासों के निर्माण के लिए पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। दिनांक 05.02.2026 तक, उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में 44,776 आवासों को स्वीकृति दी गई है और 44,610 आवास पूरे हो चुके हैं। लाभार्थियों के लिए लाभ को अधिकतम करने हेतु अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। दिशा-निर्देश स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) , मनरेगा, या अन्य समर्पित निधि स्रोतों के साथ अभिसरण के माध्यम से शौचालय निर्माण में सहायता करते हैं। इसी प्रकार , पाइप से पेयजल , बिजली कनेक्शन , एलपीजी गैस कनेक्शन, सौर लालटेन, स्वच्छ खाना पकाने की ऊर्जा , सौर छतों और सरकारी कार्यक्रमों के तहत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) मंच के साथ लिंकेज के लिए अभिसरण भी किया जा रहा है।

मनरेगा एक मांग संचालित मजदूरी रोजगार योजना है , जिसका उद्देश्य मांग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को हर वित्तीय वर्ष में गारंटीकृत रोजगार के रूप में कम से कम सौ दिनों का अकुशल शारीरिक कार्य प्रदान करना है। रोजगार सृजन के अलावा , मनरेगा ने ग्रामीण अवसंरचना, सूखा प्रतिरोध, बाढ़ नियंत्रण और सुरक्षा, भूमि विकास, सूक्ष्म सिंचाई कार्य, पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण, ग्रामीण संपर्क, जल संरक्षण और संचयन, और व्यक्तिगत भूमि पर कार्यों जैसी स्थाई सामुदायिक परिसंपत्तियां बनाई हैं , जिससे ग्रामीण अवसंरचना आधार सुदृढ़ हुआ है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में 2025-26 (5 फरवरी 2026 तक) के दौरान मनरेगा के तहत शुरू किए गए कार्यों का श्रेणी-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

इसके अलावा , ग्रामीण विकास मंत्रालय , दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) का कार्यान्वयन कर रहा है , जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब महिला परिवारों को स्वयं सहायता समूहों में एकत्रित करना और उन्हें

दीर्घकालिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी आजीविका में विविधता लाएं , अपनी आय में सुधार करें और बेहतर जीवन जीएं। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (यूपीएसआरएलएम) के माध्यम से सहायक पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए डीएवाई-एनआरएलएम के तहत लक्षित हस्तक्षेप किए गए हैं। आजीविका संवर्धन प्रयासों के तहत, 19,750 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का गठन किया गया है , जिसमें 2,01,797 सदस्य आर्थिक गतिविधियों में एकीकृत हुए हैं। 10,007 सदस्यों वाले 224 उत्पादक समूहों के साथ 6,925 सदस्यों वाले एक उत्पादक उद्यम का गठन किया गया है , और कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में परिणामों में सुधार के लिए जिलों में एसएचजी द्वारा संचालित एफपीओ स्थापित किए गए हैं। बाजार पहुंच और संपर्क को बढ़ाने के लिए, जिला और ब्लॉक स्तरों पर सरस स्टोर स्थापित किए गए हैं , और एसएचजी सदस्यों को देश भर में सरस मेलों में भाग लेने के लिए सुविधा प्रदान की जा रही है। ऑनलाइन विपणन के लिए ई सरस, अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मीशो पर 100 से अधिक एसएचजी उत्पाद पंजीकृत हैं , जिससे बाजार संपर्क और आय के अवसरों में सुधार हो रहा है।

इन पहलों ने उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में कृषि उत्पादकता में सुधार, बाजार पहुंच को बढ़ाने और ग्रामीण जीवन स्तर को ऊपर उठाने में योगदान दिया है।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

*****

अनुबंध

"ग्रामीण बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण" के संबंध में लोक सभा में 10.02.2026 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न सं. 1732 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में वर्ष 2025-26 (5 फरवरी 2026 तक) के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत शुरू किए गए कार्यों का श्रेणी-वार विवरण				
श्रेणियों का नाम	**पूर्ण किए गए**		**चल रहे**	
	कार्यों की संख्या	**व्यय (लाख रुपये में)**	**कार्यों की संख्या**	**व्यय (लाख रुपये में)**
ग्रामीण अवसंरचना	297	94.29	867	197.14
सूखा प्रतिरोध	390	14.17	4,736	179.50
बाढ़ नियंत्रण और सुरक्षा	167	20.31	358	83.19
भूमि विकास	4,099	653.77	6,585	2,541.22
सूक्ष्म सिंचाई कार्य	69	57.31	80	69.82
पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण	47	24.55	70	41.32
ग्रामीण संपर्क	645	366.72	3,425	1,629.71
जल संरक्षण और जल संचयन	323	37.90	857	240.80
व्यक्तिगत भूमि पर कार्य (श्रेणी I V)	3,548	359.89	5,071	353.69
कुल	**9,643**	**1,628.88**	**22,252**	**5,336.34**

*****